समाहरणालय, शेखपुरा

(राजस्व शाखा)

—: चेवाड़ा बस स्टैण्ड की बंदोवस्ती सम्बन्धी अल्पकालीन आम सूचना :—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत **"चेवाड़ा बस स्टैंड"** की बन्दोवस्ती सरकार से स्वीकृति के प्रत्याशा मे नीचे अंकित नियमों एवं शर्तों के अधीन वितीय वर्ष 2019–20 के लिए खुला डाक द्वारा दिनांक 11.07.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में की जायेगी। उक्त बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती किसी कारणवश दिनांक 11.07.2019 को नही होने की स्थिति में इसका पुनः दिनांक 13.07.2019 को 11.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खुला डाक से इसकी बन्दोवस्ती की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी किसी कारणवश उक्त बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती नहीं हो पाती है तो पुनः इसकी बन्दोवस्ती दिनांक 15.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में 11.00 बजे दिन में खुला डाक से की जायेगी। इच्छुक डाक वक्ता उपर्युक्त बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती लेने के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर खुला डाक मे भाग लेकर उक्त बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती ले सकते हैं। इसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोवस्ती की अवधि	बन्दोवस्ती की तिथि	बन्दोवस्ती का समय	बन्दोवस्ती का स्थान
1	चेवाड़ा	बस स्टैंड, चेवाड़ा	1273050.00	318262.50	01.04.19 से 31.03.20 तक	प्रथम 11.07.19 द्वितीय 13.07.19 तृतीय 15.07.19	11:00 पूर्वा0 11:00 पूर्वा0 11:00 पूर्वा0	जिला पदाधिकारी शेखपुरा का कार्यालय वेश्म

नियम एवं शर्तें :—

1. डाक में भाग लेने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता को सुरक्षित जमा का 25% राशि मो0 3,18,262.50 (तीन लाख अठारह हजार दो सौ बासठ रूपये पचास पैसे) रू0 जमानत के रूप में नाजिर के पास जमा करना होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार डाक में भाग लेते हैं तो उन्हें पूर्व का बकाया रहित प्रमाण–पत्र अंचल अधिकारी, चेवाड़ा से प्राप्त कर जमा करना होगा।
4. उच्चतम बोली लगाने वाले डाकवक्ता के साथ बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती की जायगी।
5. सफल उच्चतम डाक वक्ता को डाक में बोली गई उच्चतम राशि डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की तिथि को ही एक मुश्त नाजिर के पास जमा करना होगा। अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी और द्वितीय निकटतम डाक वक्ता के साथ बंदोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।
6. डाक में भाग लेने वाले डाक वक्ता को डाक प्रारम्भ होने के पूर्व ही अपने पैनकार्ड का स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
7. बस स्टैण्ड की साफ–सफाई की व्यवस्था का दायित्व सफल बंदोवस्तदार का होगा।

Scanned by CamScanner

8. बस स्टैण्ड के सफल बंदोबस्तदार को अनिवार्य रूप से निर्धारित विभिन्न प्रकार के वाहनों के भाड़ा/किराया दर से संबंधित दर तालिका बड़े–बड़े अक्षरों में अपने खर्च पर बस स्टैण्ड में दो–तीन सुगोचर स्थान पर लगाना होगा।

9. विभागीय निदेश के आलोक में बन्दोबस्ती राशि के अलावे उसी समय 6% मुद्रांक शुल्क का भी भुगतान करना होगा तथा 2% निबंधन शुल्क का भुगतान कर बन्दोबस्ती का एकरारनामा अपने व्यय पर निबंधित कराना होगा।

10. डाक करने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताये और बिना पूर्व सूचना दिये ही डाक को स्थगित करने या अस्वीकृत करने अथवा उपर्युक्त किसी नियम एवं शर्त को पूर्णतः या अंशतः शिथिल/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

समाहर्त्ता,

शेखपुरा

ज्ञापांक 328 /रा0, दिनांक 02/07/2019

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि को सुरक्षा प्रबंध करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेखपुरा जिला/सभी अंचल अधिकारी, शेखपुरा जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा/थाना प्रभारी, चेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आम सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी चेवाड़ा को निदेश दिया जाता है कि डाक की निर्धारित तिथि को ससमय नाजीर रसीद बही के साथ डाक स्थल पर उपस्थित रहकर डाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अंचल अधिकारी, चेवाड़ा सूचना की प्रति सभी मुखिया को ससमय प्रेषित करेंगे।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सूचना की प्रति सभी स्थानीय संवाददाताओं को दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ट पर अंकित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं निविदा की प्रति के साथ वेब–साईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री राजेश कुमार, पेशर–श्री लट्टू यादव, ग्राम+थाना–चेवाड़ा, जिला–शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,

शेखपुरा

D:\2019\June-19\Sairat Chewara10-19 .docx-6

Scanned by CamScanner